न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 75/2017 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 16.10.2017

सुरेश चन्द्र पिता भंवरलाल शर्मा निवासी 18-डी, आनन्द विहार कॉलोनी, चित्तौड़गढ़
.....प्रार्थी

बनाम

1-पीठासीन अधिकारी, न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2-श्रीमति अनुसूया शर्मा पत्नि स्व. राकेश कुमार शर्मा, निवासी शकुन्तला चौधरी पत्नि धर्मेन्द चौधरी, सी स्कीम, 33 एल. बी. एस. स्कूल के पास, प्रतापनगर, पुलिस थाना सदर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3-श्री आयुष शर्मा पिता स्व. राकेश कुमार शर्मा, निवासी शकुन्तला चौधरी पत्नि धर्मेन्द चौधरी, सी स्कीम, 33 एल. बी. एस. स्कूल के पास, प्रतापनगर, पुलिस थाना सदर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

.....विपक्षीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 411 दण्ड प्रकिया संहिता (प्रकरण अन्तरण याचिका)

उपस्थितिः- 1-श्री नरेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
2-श्री जगदीश चन्द्र जोशी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 व 3

निर्णय

दिनांक 19.12.2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया है कि एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 जा. फो. थानाधिकारी, कोतवाली द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत किया गया जिसके

आधार पर दिनांक 12.06.2017 को उक्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 146 जा. फो. के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने से विचाराधीन प्रकरण संख्या 14/2017 को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ को आवेदन की प्रति प्रेषित कर कमेन्ट्स प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया एवं विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ से कमेन्ट्स प्राप्त हुए। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र जोशी ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि थानाधिकारी कोतवाली द्वारा एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 जा. फो. विरूद्ध प्रार्थी एवं विपक्षीगण के न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश किया गया जो दिनांक 12.06.2017 को अन्तर्गत धारा 146 जा. फो. के तहत दर्ज रजिस्टर करते हुए विवादित भूखण्ड ग्राम मानपुरा भूखण्ड संख्या बी एण्ड सी शिल्पी मार्बल को अन्तरिम तौर पर अग्रिम आदेश तक तहसील सरकार लिया जाने का आदेश दिया गया है। दिनांक 13.10.2017 को प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थिति दी गई एवं पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रकरण में उपलब्ध प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब व संलग्न दस्तावेजात के आधार पर साक्ष्य तलब करने हेतु निवेदन किया परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि मैं इस प्रकरण को खारीज करूंगा और आज ही इसका निस्तारण करूंगा। अतः पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नहीं होने से उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित फरमावे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ ने अपने कमेन्ट्स में अंकन किया कि प्रकरण में दिनांक 12.06.17 को थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित विवादित भूखण्ड को कब्जे सरकार लेकर थानाधिकारी कोतवाली को रिसीवर नियुक्त कर प्रथम पेशी दिनांक 26.07.17 नियत की गई। विपक्षीगणों ने अपने अधिवक्ता नियुक्त कर जवाब हेतु अवसर चाहने पर द्वितीय पेशी 23.08.17 को नियुक्त की गई, उसके पश्चात् दिनांक 08.09.17 को पेशी नियत की गई। दिनांक 08.09.17 को विपक्षी संख्या 1 ने जवाब पेश किया तथा विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब हेतु अवसर चाहने पर अवसर दिया जाकर दिनांक 25.09.17 नियत की गई। दिनांक 25.09.17 को विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही/ बहस हेतु पेशी दिनांक 13.10.17 नियत की गई और दिनांक 13.10.17 को जरिये अधिवक्ता बहस सुनी एवं वास्ते निर्णय दिनांक 17.10.17 नियत की गई। दिनांक 16.10.17 को विपक्षीगण संख्या 2 द्वारा प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर पत्रावली में अग्रिम आदेशों तक कार्यवाही स्थगित की गई है।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने कथन किया कि प्रार्थी ने अपने आवेदन में समस्त तथ्य मनगढ़न्त अंकित किये हैं। प्रकरण में जवाब प्रस्तुत होकर बहस सुनी जा चुकी है प्रार्थी द्वारा प्रकरण में मात्र विलम्ब करने के उद्धेश्य से बिना किसी ठोस आधारों के यह स्थानान्तरण याचिका प्रस्तुत की है। प्रार्थी प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब कर उसे लम्बा चलाना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कमेन्ट्स का गहनता से अवलोकन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में विधिवत् सुनवाई होकर उभय पक्ष की बहस सुनी जा चुकी है एवं प्रकरण में मात्र आदेश सुनाया जाना है इस स्टेज पर आकर प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने का कथन कर प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने का निवेदन किया है साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने के प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती हो।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने संबंधी किये गये कथन की तथ्यों से भी कोई पुष्टि नहीं होती है। निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रकरण स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत याचिका/आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त प्रकरण में पुनः उभय पक्षों को साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई विधि-सम्मत् निर्णय पारित कर इस न्यायालय को अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)